R 1084 PBR/15 उ०प०

| आदेश तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8—5—15 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया ।<br>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसम्मत है कि आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि संहिता की धारा 248 के तहत पक्का मकान निर्माण तोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता है । इसके लिए स्पेसीफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए जो कि प्रकरण को लंबित रखने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता था जिस समय तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी । अपील में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना विधिसम्मत नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>सदस्य | |

**न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

निगरानी/1084-PBR-15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

1– श्रीमती कल्पना मुदगल पत्नी सतीश मुदगल निवासी–विनय नगर, सेक्टर नं. 4, स्टोर एरिया ग्वालियर

2– दीपक पुत्र स्व. श्री सतीश मुदगल

3– कु. स्वीटी पुत्री स्व. श्री सतीश मुदगल निवासीगण–विनय नगर, सेक्टर नं. 4, स्टोर एरिया ग्वालियर

4– श्रीमती छवि पुत्री स्व. सतीश मुदगल पत्नी आनंद, निवासी–जैन मंदिर के पास, गेड़ेवाली सड़क, लश्कर ग्वालियर

**'——निगरानीकर्ता/आवेदकगण**

**बनाम**

1– श्रीमती देवकी पाराशर पुत्री स्व. मदन मोहन मुदगल निवासी–नगर निगम कार्यालय के पीछे, मुरैना

**——तरतीबी पक्षकार**

2– अनिल कुमार मुदगल पुत्र स्व. गोपाल प्रसाद मुदगल

3– विनोद शर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद मुदगल

4– शिवशंकर मुदगल पुत्र गोपालप्रसाद मुदगल